"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 अप्रैल 2010—चैत्र 12, शक 1932

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं कुमारी सोहद्रा देवांगन पिता श्री सुन्दर लाल देवांगन, मुकाम पोस्ट भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर (छ. ग.) की हूं. मेरा विवाह दिनांक 10-12-97 को सुभद्रा देवांगन के नाम से श्री टिकेन्द्र देवांगन निवासी पाटन के साथ सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर श्रीमती सुभद्रा देवांगन रख [illegible] हूं [illegible] इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती सुभद्रा देवांगन पति स्व. टिकेन्द्र देवांगन के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
कुमारी सोहद्रा देवांगन	श्रीमती सुभद्रा देवांगन
पिता-श्री सुन्दर लाल देवांगन	पति-स्व. टिकेन्द्र देवांगन
निवासी-ग्राम भानुप्रतापपुर	निवासी-ग्राम पाटन
थाना व तहसील भानुप्रतापपुर	थाना व तहसील दुर्ग
जिला कांकेर (छ. ग.)	जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं विजय कुमार आत्मज श्री लक्ष्मण राव, उम्र 24 वर्ष, निवासी ए. सी. सी. लेबर केम्प, चन्दन पारा, जामुल तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने नाम के साथ उपनाम जोड़कर अपना नाम एम. विजय कुमार रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे एम. विजय कुमार आत्मज श्री एम. लक्ष्मण राव के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
विजय कुमार आत्मज-श्री लक्ष्मण राव निवासी-ए. सी. सी. लेबर केम्प, चन्दन पारा, जामुल तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)	एम. विजय कुमार आत्मज-श्री एम. लक्ष्मण राव निवासी-ए. सी. सी. लेबर केम्प, चन्दन पारा, जामुल तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर जिला बस्तर

जगदलपुर, दिनांक 26 फरवरी 2010

छ. ग. सहकारी संस्थायें अधिनियम की धारा 69(1) के अन्तर्गत

क्रमांक/उ. पं. ज./परिसमापन/09/157.—कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/परि./09/548 दिनांक 24-9-09 द्वारा निम्नलिखित प्राथमिक सहकारी संस्थाओं को कारण बताओ पत्र सहकारी संस्थाएं अधिनियम की धारा 69(3) के तहत प्रेषित कर अवगत कराया था कि अंकेक्षण टीप तथा अकार्यशील होने के कारण निर्वाचन संभव न होने की स्थिति में समितियां अकार्यशील एवं निष्क्रिय स्थिति में है तथा सूचना प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर साक्ष्य सहित समिति के करोबार की संचालक प्रक्रिया की स्थिति से अवगत करावें एवं अन्यथा की स्थिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

चूंकि उपरोक्त कारण बताओ सूचना पत्र के अन्तर्गत किसी भी समिति द्वारा समिति के कारोबार प्रक्रिया को निरन्तर बनाये रखने हेतु साक्ष्य सहित प्रमाण पत्र अथवा कोई भी निवेदन प्रस्तुत नहीं करने से मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि निम्न वर्णित सहकारी समितियां भविष्य में कार्य नहीं करना चाहती और निष्क्रिय तथा अकार्यशील है.

अतएव मैं, सुनील तिवारी, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर जिला बस्तर छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/एफ.-5/सहकारिता/15/2436 दिनांक 13-6-2001 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ऊपर वर्णित कारणों के आधार पर निम्नलिखित सहकारी समितियों को परिसमापन में लाये जाने का आदेश पारित करता हूं तथा क्रमांक 5 में दर्शित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

आदेश तत्काल प्रभावशील होगा जो आज दिनांक 18-2-10 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की जा रही है.

अ. क्र.	समितियों का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	विकासखंड	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., बोधघाट जगदलपुर.	280/29-6-93	जगदलपुर	श्री एस. एन. बघेल अंकेक्षण अधिकारी जगदलपुर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	महिला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार मर्या., बालाजी वार्ड जगदलपुर .	389/8-11-96	जगदलपुर	श्री एस. एन. बघेल अंकेक्षण अधिकारी जगदलपुर.
3.	जेल कल्याण कर्म. प्रा. उप. सह. भ. मर्या., जगदलपुर .	286/13-7-93	---,,---	---,,---
4.	कबीर बुनकर सह. समि. मर्या., तोकापाल.	7/5-2-79	तोकापाल	---,,---
5.	दण्डकारण्य मछुआ सहकारी समिति मर्या., जगदलपुर.	359/9-1-96	जगदलपुर	---,,---
6.	मत्स्य सहकारी समिति मर्या., उलनार	500/6-12-04	बकावण्ड	श्री मुकेश गुप्ता स. नि. जगदलपुर.
7.	आदि. मछुआ सह. समि. मर्या., उमरगांव	62/28-3-88	कोण्डागांव	---,,---
8.	महिला श्रमिक रत्न उद्योग सह. समि. मर्या., जगदलपुर.	374/29-8-96	जगदलपुर	---,,---
9.	महिला औद्योगिक सह. समि. मर्या., नयामुण्डा जगदलपुर.	37/8-8-96	---,,---	---,,---
10.	---,,--- महारानी वार्ड जगदलपुर	395/23-12-96	---,,---	---,,---
11.	---,,--- जवाहरनगर मेच्युडा	433/28-7-99	---,,---	---,,---
12.	रस्सी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बकावण्ड.	156/28-11-89	बकावण्ड	श्री के. एस. सोनवानी स. नि. जगदलपुर.
13.	बांस कला चटाई उद्योग ---,,---दामागुडा	441/29-7-00	---,,---	---,,---
14.	आदि. हरि. खनिकर्म सह. समिति मर्या., सिरिसगुडा.	368/3-4-96	जगदलपुर	---,,---
15.	प्राथ. मजदूर रेत खदान सह. समिति मर्या., खडकघाट.	394/13-12-96	---,,---	---,,---
16.	शिक्षा जागृति खनिज सह. समिति मर्या., तेतरधुटी (छापरभानपुरी).	424/12-10-98	---,,---	---,,---
17.	प्राथ. गिट्टी खदान सह. समिति मर्या., नवागुड़ा.	436/12-1-2000	---,,---	श्री एन. के. शर्मा स. नि. जगदलपुर.
18.	प्राथ. रेत खनिज सह. समिति नगरनार	463/28-3-02	---,,---	---,,---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19.	प्राथ. ज्वालामुखी हितग्राही खनिज सह. समिति नगरनार.	468/14-8-02	जगदलपुर	श्री एस. के. शर्मा स. नि. जगदलपुर.
20.	प्राथ. मुरूम खदान सह. समिति नगरनार.	468/14-8-02	---,,---	---,,---
21.	आदर्श गिट्टी रेत सह. समिति बालेंगा	294/9-12-94	बस्तर	---,,---
22.	प्राथ. रेत खदान सह. समिति दुबेउमरगांव	403/3-4-97	---,,---	श्री बी. एल. पोया व. स. नि. जगदलपुर.
23.	---,,--- इच्छापुर	404/3-4-97	---,,---	---,,---
24.	प्राथ. गिट्टी खदान ---,,--- भोण्ड	414/13-8-97	---,,---	---,,---
25.	प्राथ. रेत खदान ---,,--- चपका	420/7-3-98	---,,---	---,,---
26.	प्राथ. खनिज सह. समिति कोण्डागांव	428/23-10-97	कोण्डागांव	श्री ए. के. नामदेव स. वि. अ. कोण्डागांव.
27.	---,,---संबलपुर	429/23-10-07	---,,---	---,,---
28.	खनिकर्म आदि. श्रमिक सह. समिति बुरूंगपाल.	165/14-11-90	तोकापाल	श्री एच. लकरा उप-अंकेक्षण जगदलपुर.
29.	आदि. खनिज श्रमिक सह. समिति मावलीभाठा.	292/1-6-94	---,,---	---,,---
30.	आदि. खनिकर्म सह. समिति छोपरापारा	166/14-11-90	---,,---	---,,---
31.	चूना पत्थर श्रमिक सह. समिति रायकोट	411/30-7-97	---,,---	श्री राजेश आचार्य स. वि अ. लोहंडीगुडा.
32.	आदि. प्राथ. मुरूम रेत खदान सह. समिति डेंगाआमा.	459/30-12-91	लोहाण्डीगुडा	---,,---
33.	आदि. हरि. प्राथ. स्टोन क्रेशर सह. समिति चित्रकूट.	256/30-12-91	---,,---	---,,---
34.	आदि. रेत खदान ट्रक सह. समि. मर्या., कोरपाल.	423/30-9-98	बकावण्ड	श्री एस. पी. सिंह व. स. नि. जगदलपुर.
35.	फल एवं साग सब्जी उत्पादक एवं वितरक सह. समिति मर्या., भाटपाल.	476/28-3-03	बस्तर	---,,---
36.	प्राथ. पारंपरिक आदि. हस्त शिल्प सह. समि. मर्या., अल्वाही.	465/10-5-02	बस्तर	---,,---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
37.	किसान मजदूर विद्युत सह. समिति मर्या., छापर भनपुरी.	425/2-12-98	जगदलपुर	---,,---
38.	किसान मजदूर संघर्ष सह. समिति मर्या., छिन्दगांव.	398/13-1-97	बस्तर	श्री बी. मजूमदार स. वि. अ. केशकाल.
39.	---,,--- मर्या., पारापुर	401/26-2-97	बस्तर	---,,---
40.	तृतीय वर्ग शा. कर्म. साख सह. समि. मर्या., जगदलपुर.	460/21-3-2002.	जगदलपुर	---,,---
41.	ग्रामीण बेरोजगार सह. समि. मर्या., परचनपाल.	494/12-8-2004	बस्तर	श्री आर. एस. देवांगन स. वि अ. फरसगांव.
42.	आदि. ट्रक रफ्तार योजना स. मि. पासंगी	313/16-7-92	फरसगांव	---,,---

सुनील तिवारी,
उप पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 15 मार्च 2010

क्रमांक/122/उपंरा/परि./2010.—चूंकि कान्हे बुनकर सहकारी समिति मर्यादित कान्हे पंजीयन क्रमांक 15 विकासखण्ड चौकी जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1555/उपंरा/परि./दिनांक 18-8-2000 से सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड चौकी, जिला राजनांदगांव के उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया.

संस्था के परिसमापक श्री आर. आर. गजभिये सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड चौकी, जिला राजनांदगांव द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 5 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अन्तर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया जिससे मैं संतुष्ट हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक: एफ/5-1-99/ पन्द्रह-एक. सी. भोपाल दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थायें छ. ग. की शक्तियों का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) के अन्तर्गत कान्हे बुनकर सहकारी समिति मर्यादित कान्हे पंजीयन क्रमांक 15, विकासखण्ड चौकी, जिला राजनांदगांव का पंजीयन निरस्त करता हूं और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 15-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एस. एल. विश्वकर्मा,
उप पंजीयक.

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 19 फरवरी 2010

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2009/2010/251.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/ 749 /बिलासपुर, दिनांक 3-4-08 के तहत प्राथमिक सह.-उप भंडार सहकारी समिति मर्यादित, तात्याटोपे नगर बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3626 दिनांक 24-2-93, विकासखण्ड .... जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्रीमती नमिता विश्वास, स. नि. सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमाण्क द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 19-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 19 फरवरी 2010

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2009/2010/252.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/932 /बिलासपुर, दिनांक 6-5-08 के तहत डा. अम्बेडकर महिला सह. उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, जरहाभांठा बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 355 दिनांक 1-12-94, विकासखण्ड .... जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्रीमती नमिता विश्वास, स. नि. सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 19-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 19 फरवरी 2010

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2009/2010/253.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/942 /बिलासपुर, दिनांक 6-5-08 के तहत अरपा खारून रेत परिवहन श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित, बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 169 दिनांक 27-8-2008, विकासखण्ड........... जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्रीमती नमिता विश्वास, स. नि. सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 19-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 19 फरवरी 2010

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2009/2010/254.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/844/बिलासपुर, दिनांक 23-4-08 के तहत आदर्श उन्नत सुअर पालन एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित, बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 132 दिनांक 16-7-02, विकासखण्ड .... जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्रीमती नमिता विश्वास, स. नि. सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 19-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 19 फरवरी 2010

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2009/2010/255.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/1037/बिलासपुर, दिनांक 15-5-08 के तहत बालाजी कामगार एवं कारीगर सहकारी समिति मर्यादित, बुधवारी बाजार बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 148 दिनांक 13-6-2003, विकासखण्ड .... जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्रीमती नमिता विश्वास, स. नि. सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 19-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 19 फरवरी 2010

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2009/2010/256.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/1217/बिलासपुर, दिनांक 9-6-08 के तहत महिला सफाई कामगार सहकारी समिति मर्यादित, बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 155 दिनांक 24-10-03, विकासखण्ड .... जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्रीमती नमिता विश्वास, स. नि. सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए सस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 19-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 19 फरवरी 2010

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2009/2010/257.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/1902/749/बिलासपुर, दिनांक 29-9-07/3-4-08 के तहत शारदा प्राथमिक उप भंडार सहकारी समिति मर्यादित, राजेन्द्रनगर बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3662 दिनांक 17-4-95, विकासखण्ड जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्रीमती नमिता विश्वास, स. नि. सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 19-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 19 फरवरी 2010

क्रमांक/परिसमापन/2010/258.—रामकृष्ण प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित सरकण्डा बिलासपुर विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3407 दिनांक 17-9-91 को सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत् कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था. कारण बताओ सूचना का जवाब प्रस्तुत नहीं होने के फलस्वरूप उक्त संस्था को परिसमापन में लाते हुए श्री एम. के. बन्दे, सहकारी निरीक्षक, को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत : संस्था के परिसमापक द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. समिति के सदस्यों की बैठक आहूत कर यह निर्णय लिया गया है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाय. सोसायटी अधिनियम/नियम एवं पंजीकृत उपविधि तथा समय-समय पर शासन द्वारा बनाये गये नियमों के तहत कार्य करेगी. परिसमापक द्वारा भी समिति को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की गयी है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर समिति को पुनर्जीवित करना सदस्यों के हित में है. परिसमापक के प्रतिवेदन से मैं सहमत हूं.

अत: मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99/पन्द्रह (सी) दिनांक 26-7-1999 के द्वारा पंजीयक के द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(4) के तहत् रामकृष्ण प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित सरकण्डा, बिलासपुर, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3407 दिनांक 17-9-91 को पुनर्जीवित करने का आदेश पारित करता हूं.

आगामी तीन माह तक कार्य व्यवसाय एवं कार्य संचालन हेतु निम्नांकित संचालक मंडल घोषित करता हूं :-

1.	श्री मनोज दुबे	अध्यक्ष
2.	श्रीमती अन्नपूर्णा दुबे	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती रेखा ठाकुर	सदस्य
4.	श्री श्याम लाल साहू	सदस्य
5.	श्री केशव प्रसाद सूर्यवंशी	सदस्य
6.	श्री झुरगा खैरवार	सदस्य

बिलासपुर, दिनांक 19 फरवरी 2010

क्रमांक/परिसमापन/2010/259.—जंयभवानी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित शहीद भगतसिंह नगर, बिलासपुर विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3477 को सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत् कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था. कारण बताओ सूचना का जवाब प्रस्तुत नहीं होने के फलस्वरूप उक्त संस्था को परिसमापन में लाते हुए श्री एच. के. बन्दे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत : संस्था के परिसमापक द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. समिति के सदस्यों की बैठक आहूत कर यह निर्णय लिया गया है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाय. सोसायटी अधिनियम/नियम एवं पंजीकृत उपविधि तथा समय-समय पर शासन द्वारा बनाये गये नियमों के तहत कार्य करेगी. परिसमापक द्वारा भी समिति को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की गयी है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर समिति को पुनर्जीवित करना सदस्यों के हित में है. परिसमापक के प्रतिवेदन से मैं सहमत हूं.

अत: मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99/पन्द्रह (सी) दिनांक 26-7-1999 के द्वारा पंजीयक के द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(4) के तहत् जय भवानी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित शहीद भगतसिंह नगर, बिलासपुर, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3477 को पुनर्जीवित करने का आदेश पारित करता हूं.

आगामी तीन माह तक कार्य व्यवसाय एवं कार्य संचालन हेतु निम्नांकित संचालक मंडल घोषित करता हूं :-

1.	श्री सुरेश चौहान	अध्यक्ष
2.	श्री राजेन्द्र ठक्कर	उपाध्यक्ष.

3.	श्री राजेश यादव	सदस्य
4.	श्री भूपेन्द्र चौहान	सदस्य
5.	श्री किशन सोनी	सदस्य
6.	श्रीमती पार्वती चौहान	सदस्य

बिलासपुर, दिनांक 26 फरवरी 2010

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2009/2010/305.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/769/बिलासपुर, दिनांक 5-4-2008 के तहत एकता प्राथमिक सह. उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्यादित, रामनगर बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3668 दिनांक 15-5-95, विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्रीमती शोभा बंदे, सहकारी निरीक्षक सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 26 फरवरी 2010

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2009/2010/306.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/1016/बिलासपुर, दिनांक 15-05-08 के तहत शिव शक्ति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, सिरगिट्टी, बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 177 दिनांक 6-10-04, विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री एम. के. बन्दे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 26 फरवरी 2010

क्रमांक/परिसमापन/2010/307.—ईंधन पूर्ति सहकारी समिति मर्यादित तारबहार बिलासपुर (छ. ग.) पं. क्र. 3217 का श्री अरूण शर्मा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री अरूण शर्मा, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि समिति के सदस्यों की बैठक आहूत की गई. उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में सभी सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया. परिसमापक द्वारा भी समिति को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की गई है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर समिति को पुनर्जीवित करना सदस्यों के हित में है.

अत: मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, (छ. ग.) सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(4) के तहत् पुनर्जीवित करने का आदेश पारित करता हूं.

एन. कुजूर,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2010.